

**शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. ननके चौहान पुत्र स्व० प्रहलाद चौहान नि० बैरागी पुरवा थाना तरबंगज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-197/22, 02. जगदीश सिंह पुत्र स्व० सीताराम सिंह नि० बबुरहिया मौजा पुरैनी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-198/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना को० करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. बबलू पुत्र मुन्ना नि० मलौना चाइन पुरवा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-219/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. भरत सोनकर पुत्र स्वर्गीय गया प्रसाद नि० ग्राम पंडित पुरवा मौजा सिहागांव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-114/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.06.2022**

**“ऑपरेशन गैंगेस्टर” के तहत गैंगेस्टर ऐक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:—**

माननीय मुख्यमंत्री जी उ०प्र० शासन द्वारा पूरे प्रदेश में गैंगेस्टर/एच०एस०/गुण्डा के विरुद्ध 100 दिवसीय चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में थाना खरगूपुर पुलिस को गैंगेस्टर ऐक्ट के 01 वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान गैंगेस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्त राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त मु०अ०सं०-183/22, धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर ऐक्ट थाना को० नगर में वांछित चल रहा था। जिसकी विवेचना थानध्यक्ष खरगूपुर द्वारा की जा रही थी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. राजेश कुमार पुत्र दीनानाथ नि० मेघवा पोस्ट बनकटी सूर्य बली सिंह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग:—**

01. मु०अ०सं०-183/22, धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम:—**

उ०नि० भोलाशंकर मय टीम।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.06.2022**

**अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रामकरन वर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद मिस कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. राम करन वर्मा पुत्र लाल वर्मा नि० मोतीगंज थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—113/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद मिस कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता—**

उ०नि० दिलीप कुमार मय टीम।

**प्रेसनोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.06.2022**

**दुष्कर्म व लूटपाट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं/महिलाओं पर घटित अपराधों के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म व लूटपाट करने के वांछित अभियुक्त मन्ना पुत्र कैसरअली को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ चाकू दिखाकर लूटपाट व दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. मन्ना पुत्र कैसरअली नि० नये पुरवा मौजा जहांगीरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग:-**

01. मु०अ०सं०-218/22, धारा 341,392,376,370 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता:-**

उ०नि० वेदप्रकाश शुक्ला मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.06.2022**

**चोरी की योजना बनाते समय 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी करने के उपकरण, 02 अदद अवैध तमंचा कारतूस व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरो/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने चोरी की योजना बनाते समय 02 अभियुक्तों-01.इरसाद अली, 02. सलमान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी करने के उपकरण व जामातलाशी के दौरान 01-01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, 15,000/- रूपये नगद व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना इटियाथोक में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. इरसाद अली पुत्र पुत्र समशाद अली नि0 तकिया परना बगुलहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. सलमान पुत्र इस्लाम नि0 तकिया परना बगुलहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-153/22, धारा 401 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-154/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-155/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**बरामदगी:-**

01. 15,000/- रूपये नगद।
01. 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
02. चोरी करने के उपकरण।
03. 01 अदद मोटरसाईकिल नं0- यू0पी0 43 जे 6088

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ0नि0 रजनीश द्विवेदी मय टीम।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 10.06.2022**

**नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त ननकऊ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. ननकऊ पुत्र मो० नसीर नि० सुकरौली थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-82/22, धारा 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद नाजायज चाकू

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. हे०का० दिनेश कुमार।

02. हे०का० आत्मा सिंह।